

प्रारूप—2

भाग—1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :— जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

रु 50.40 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

एक मात्र नजदीकी समरेखन।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की सभावना है।

स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक कर पायेगी।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

संलग्न है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

नहीं।

ग) पुर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/ नहीं)

हाँ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड रखरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की व्यवनवद्धता (व्यवनवद्धता संलग्न की जायें)

प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्नानुसार।

दिनांक.....

स्थान...प्रा०ख०, लो०नि०वि० पिथौरागढ़

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम मोहर

प्रारूप-३
भाग-२ (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- | | |
|---|----------------------------|
| (i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र | - उत्तराखण्ड। |
| (ii) जिला | - पिथौरागढ़। |
| (iii) जिला वन प्रभाग | - पिथौरागढ़। |
| (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | - 1.935 हेक्टर भूमि। |
| 17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः | - वनप्रस्तावित भूमि |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: | - संलग्न है। |

- (i) वन का प्रकार **सिठ-युक्त**
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व **५**
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना - संलग्न है।
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - **संलग्न है.**

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - **भू-दारण की समाना) नहीं है**
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : - ०.०० किमी।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्व : - **द्व्याकृष्ण**
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : **ल्याङ्ग बैश्य**
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - **नहीं।**
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - **नहीं।**
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - **नहीं।**
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - **नहीं।**
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) - **नहीं।**

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। — हाँ/ **प्रतिवाद का व्यापार है।**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) — नहीं/

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **लाइट**।

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) — नहीं/

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः। — वर्तमान में राज्य सरकार के प्रधासनिक नियंत्रण में।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। **संलग्न है।**

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। — हाँ/

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। — हाँ/ **इन्हें संलग्न है।**

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : — संलग्न है। **₹ 1,20,000/-**

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। — हाँ/

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)। — हाँ/

27. रसीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिषें **संस्कृति सत्त्व आपारित प्रतिवक्त विभाग द्वारा वाचप्रस्ताव व भारत सरकार द्वारा लगाई गई वित्तीय संपुर्णालिय दोषिय।**

समाप्त

स्थान: **परिवर्णन**
तारीख: **4.3.2015**

धूम्रधारी वनाधिकारी
दीदीहाट
विधीरामद वन प्रभाग
शासकीय मुद्रा

वन अधिकारी
विधीरामद वन प्रभाग
हस्ताक्षर नाम